



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 159  
प्रति,

दिनांक : 7/6/12

प्राचार्य,  
बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन, रिसर्च सेंटर  
ग्राम—कनावटी, जिला—नीमच।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मे निर्भित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 66, दिनांक 13.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत मे नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जान / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किये गये। निरीक्षण समिति रो प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 मे प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर ग्राम कनावटी, नीमच मे सत्र 2017–18, से बी.ए.बी.एड.—प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.ए.बी.एड.—प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति हारा इंगित कर्मियों की पूर्ति तीन माह मे पूर्ण करने के अपथ पत्र के आधार पर निमांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण मे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरण अनुसार सत्र 2017–18 से शर्त के अंधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा मे निमांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.बी.एड.—प्रथम वर्ष(चार वर्षीय एकोकृत पाठ्यक्रम)	100
<b>शर्त :-</b>		
01.	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 मे लिये गये निर्णय का अनुन करना सुनिश्चित करें।	
02.	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।	
03.	पुस्तकालय मे पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की यदरक्षा हो।	
04.	पुरुष प्रसाधन तथा महिला प्रसाधन भवन मे अलग-अलग भाग मे स्थापित हो।	
05.	साइकोलॉजी प्रयोगशाला एवं क्रीड़ा सामग्री की ओर अतिरिक्त हो।	
06.	मल्टीप्रॉप्रेस हॉल और रात्यवस्थित होना आवश्यक है।	
07.	विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(1) के अनुसार रु. 25,000/- पाठ्यक्रम देते रु. 25,000/- (अक्षरी पच्चीस हजार रुपये मत्र) की इण्डोमेंट प्राप्त की जाने वाली आर कुलसाचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाऊ फूल रसोइ विश्वविद्यालय लेखा विभाग ने जगा करें। यदि उपरोक्त अनुसार एक डी.आर.पूर्व मे जमा करा जाए तो, उसी दे प्रस्तुत करें।	



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 352  
प्रति,

दिनांक : १४-६-१७

प्राचार्य

बालकवि वैरागी टीचर एज्यूकेशन, रिसर्च सेंटर  
ग्राम- कनावटी, जिला- नीमच।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 61, दिनांक ०५.०८.२०१७

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट सख्त्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय हारा गठित निरीक्षण समिति हारा इविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति वी.बैठक दिनांक 01.06.2017 से प्रदूषित किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर ग्राम कनावटी, नीमब में सत्र 2017-18, से बी.एस.सी.डी.एड—द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय हारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.एस.सी.डी.एड—द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति हारा इगमेत कमियों की मूर्ति तीन माह में पूर्ण करने के अधार पर निरीक्षण अस्थाई

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में साहिविद्यालय द्वारा प्रकृति किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अनीन कार्यपालिका के 4 नुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र.	पाठ्यक्रम	
01.	बी.एस.सी.बी.एड.-द्वितीय वर्ष(चार वर्षों का एकीकृत पाठ्यक्रम)	सीट संख्या 50

- शर्त** :-01. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।  
 02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति भी जाये।  
 03. प्रयोगशालाओं का उन्नय कार्य शिष्ट कराया जाये।

पर उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशान सार

कलसचिव



## विक्रम विश्वविद्यालय, जूजैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 66।  
प्रति,

दिनांक : 11/7/17

प्राचार्य,  
बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर  
कनावटी, जिला—नीमच।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता—निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

**रादर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता—निरंतरता आवेदन क्रमांक / 103 दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में प्रस्तुत किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर, कनावटी, जिला—नीमच में सत्र 2017–18 में बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता—निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति रो प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 में बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता—निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कार्यालय की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार को सिम्म विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता—निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट नंबर
01.	बी.एड.	100

- शर्त :-** 01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।  
02. पुस्तकालय में समाज विज्ञान की विषय से सम्बन्धित पुस्तक क्रय की जाये, मध्यप्रदेश शासन के गजेटियर मुस्तकालय के लिए मंगाए जाए।

उपरोक्त कार्यों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता—निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलदीप सिंह

निरंतर...02